

बिहार सरकार
कृषि विभाग,
भूमि संरक्षण निदेशालय।

पत्र संख्या- कृ०/नि०भू०सं० 15(ब)०९/2012-

/भू० सं०, पटना, दिनांक

प्रेषक,

रामजी सिंह बि०प्र०से०
संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सहायक निदेशक (मु०)
भूमि संरक्षण निदेशालय,
बिहार, पटना।

बि० प्र० से० भू०, बिहार, पटना
1725
भागल न
दिनांक 12/12/13

विषय :-

केन्द्र प्रायोजित समेकित जलछाजन प्रबंधन कार्यक्रम का वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2016-17 तक कुल 230.16 (केन्द्रांश 207.14 करोड + राज्यांश 23.02 करोड) करोड रुपये की लागत से कार्यक्रम कार्यान्वयन की स्वीकृति एवं इसके अधीन वर्ष 2013-14 में भारत सरकार से विमुक्त केन्द्रांश (90 %) 1541.63 लाख (पंद्रह करोड एकतालीस लाख तिरसठ हजार) रुपये के समानुपातिक राज्यांश (10 %) की राशि 171.29222 लाख (एक करोड एकहत्तर लाख उनतीस हजार दो सौ बाईस) रुपये का आवंटन।

महाशय,

उपरोक्त विषयक योजनान्तर्गत व्यय हेतु स्वीकृत राज्यांश की राशि 171.29222 लाख (एक करोड एकहत्तर लाख उनतीस हजार दो सौ बाईस) रुपये को आवंटित किया जाता है।

1. यह आवंटन कृषि विभाग के स्वीकृत्यादेश सं०- पी० पी० एम०-55/2012-5113 दि० 17.10.2013 के आलोक में दिया जा रहा है। आवंटित राशि की निकासी राज्यादेश में निहित निदेश के आलोक में की जाएगी।
2. स्वीकृत राशि में 171.29222 लाख (एक करोड एकहत्तर लाख उनतीस हजार दो सौ बाईस) रुपये मात्र मुख्य शीर्ष- 2402 मृदा तथा जल संरक्षण, लघुशीर्ष- 102 मृदा संरक्षण, उपशीर्ष- 0112 भूमि संरक्षण कार्य, मांग सं०- 01, विपत्र कोड- पी 2402001020112, विषयशीर्ष- 31 06 सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा, राज्य योजना स्कीम कोड- AGR-5038 अन्तर्गत वर्ष 2013-14 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
3. कुल आवंटित राशि में से अनुसूचित जाति एवं जनजाति की प्रतिशत जनसंख्या के अनुसार उनके लिए राशि का व्यय किया जायेगा।
4. आवंटित राशि बिहार वाटरशेड डेवलपमेंट सोसाइटी को अनुदान के रूप में दी जायेगी।
5. राशि की निकासी सहायक निदेशक (मु०) भूमि संरक्षण निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा बी०टी०सी० -42 पर बिहार वाटरशेड डेवलपमेंट सोसाइटी से प्राप्त पूर्व प्राप्ति रसीद के अनुसार की जायेगी।
6. आवंटन से अधिक राशि की निकासी किसी भी स्थिति में नहीं की जाए। इसके निमित्त सम्बंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की व्यक्तिगत जबाबदेही निर्धारित की जाती है।
7. विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या- पी० पी० एम०-55/2012-5113 दि० 17.10.2013 की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

विश्वासभाजन

ह०/-

(रामजी सिंह)

संयुक्त सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

कृ०प०उ०

ज्ञापांक

भू० सं० पटना, दिनांक

प्रतिलिपि :- कोषा ार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

दिनांक

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना (प्रशाखा टी०ए० २८) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक

भू० सं० पटना, दिनांक

प्रतिलिपि :- डा० सी० पी० रेडडी उपायुक्त (ज०वि०) भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार/विकास आयुक्त सह अध्यक्ष BWDS के प्रधान आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार, पटना -सह- उपाध्यक्ष, BWDS के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, कृषि, बिहार के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक

201 (आवृत्त)

भू० सं० पटना, दिनांक 11-12-2013

प्रतिलिपि :- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, BWDS/निदेशक भूमि संरक्षण, बिहार/प्रशासनिक पदाधिकारी, SLNA/उप निदेशक भूमि संरक्षण पटना परिक्रम, पटना/भूमि संरक्षण निदेशालय के तकनीकी शाखा, लेखा शाखा/उप कृषि निदेशक (सूचना), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(15/11/13)

संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

11.12.13

3

श्री
रूप नरेश कुमार